

## प्रेस नोट 09-05-2019

1.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री अरुणेन्द्र कुमार राव निवासी 5/17/57 शक्ति नगर देवकाली थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी करके वादी के खाते से 2500 रुपये निकाल लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 363/19 धारा 66 डी आईटी एक्ट ई— एफआईआर भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री अवधेश कुमार यादव पुत्र रामपाल यादव निवासी देवकाली थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कमलेश यादव पुत्र राजेश्वर निवासी नील गोदाम देवकाली थाना को0नगर, अयोध्या आदि 06 नफर अभि0गण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा व राड से वादी के पिता को मारना पीटना व धमकी देना जिससे उनका मौके पर बेहोश हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 364/19 धारा 147, 148, 323, 506, 308 भादवि भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री अभिषेक श्रीवास्तव निवासी नयापुरवा कुर्मी टोला थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राकेश सिंह आदि 04 नफर पता अज्ञात अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 176/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री विनोद कुमार एडवोकेट निवासी तारापुर रजौली थाना कैण्ट, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम कुमार यादव पता अज्ञात आदि 02 नफर व 10-15 अज्ञात व्यक्ति कार न0-यूपी 42 जेड 2332 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई की मोटर साइकिल में टक्कर मार देना जिससे उनको गम्भीर चोटें आना व मोटर साइकिल क्षतिग्रस्त हो जाना उलाहना देने पर 10-15 व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी के भाई को मारना व गाली देना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 177/19 धारा 279, 337, 338, 427, 147, 323, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 08.05.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेन्द्र कुमार यादव थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बउआ उर्फ विशाल जायसवाल पुत्र राजेन्द्र जायसवाल निवासी शराब गद्दी छोटी देवकाली थाना को0अयोध्या, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 272/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री उमेश वर्मा पुत्र लालता प्रसाद वर्मा निवासी किशुनदासपुर थाना को0अयोध्या, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र वर्मा निवासी किशुनदासपुर थाना को0अयोध्या, अयोध्या आदि 08 नफर अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर वादी के परिजन को मारना पीटना व घरेलू सामान क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 273/19 धारा 147, 323, 452, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

7.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र. स्व0 रामदेव सिंह निवासी कोदहवा कादीपुर थाना महाराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि ओम प्रकाश सिंह पुत्र शिव मूरत सिंह निवासी कोदहवा कादीपुर थाना महाराजगंज, अयोध्या आदि 04 नफर मिट्टी पाटने के विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा हमलावर होकर घर में घुसकर गाली व जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 166/19 धारा 323, 504, 506, 352, 452 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

8.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री श्याम सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी सारंगापुर थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जग्गू सिंह आदि 03 नफर अभियुक्तगण द्वारा वादी को गाली देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 202/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

9.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री दीपक कुमार कन्नौजिया पुत्र हौसिला प्रसाद निवासी परोमा थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सुन्दर पाल पुत्र बम बहादुर निवासी परोमा थाना को0बीकापुर, अयोध्या आदि 07 नफर बेगार कराने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी को घर में घुसकर जाति सूचक गाली व धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 280/19 धारा 147, 323, 504, 506, 452 भादवि व 3(1) ध एससी/एसटी एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

10.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री राम बहादुर निषाद पुत्र जगराम निषाद निवासी पुहुपी थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 45 एएल 0038 बोलेरो का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पिता को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर चोटें आना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 281/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

11.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव पुत्र विद्या भूषण श्रीवास्तव निवासी गयासुद्दीनपुर थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अंसार खॉ पुत्र अन्नान खॉ निवासी गयासुद्दीनपुर थाना को0बीकापुर, अयोध्या आदि 05 नफर **चुनाव की बात को लेकर** अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके

सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 282/19 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

12.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र प्रताप नरायन सिंह निवासी बबुरिहा कौधा थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्याम यादव पता अज्ञात व 5-6 अज्ञात व्यक्ति जमीनी विवाद को लेकर अभि0गण द्वारा एक राय होकर वादी को मारना पीटना, गाली गुप्ता व धमकी देते हुए गाड़ी क्षतिग्रस्त कर देना तथा पुनः हमलावर होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 283/19 धारा 147, 323, 504, 506, 427, 352 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

13.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री सर्वेश कुमार पुत्र कृष्ण शंकर निवासी जजवारा थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सकल यादव पुत्र सालिक राम यादव निवासी जजवारा थाना हैदरगंज, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी को चाकू से मारना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 119/19 धारा 324, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

14.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र सूर्य नारायण यादव निवासी साहबाबाद ग्रन्ट थाना इनायतनगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कन्हैयालाल यादव निवासी साहबाबाद ग्रन्ट थाना इनायतनगर, अयोध्या आदि 08 नफर अभि0गण द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा व गडासे से लैश होकर घर में घुसकर वादी व परिजन को मारना पीटना जिससे फ्रैक्चर आना तथा गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 220/19 धारा 147, 148, 323, 325, 452, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

15.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री ओम नरायण गुप्ता पुत्र राम गोपाल गुप्ता निवासी मोहल्ला कटरा थाना को0रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोड़कर आलमारी में रखा नगदी व जेवरात चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 154/19 धारा 457, 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

16.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री पंकज कुमार पाण्डेय पुत्र राम जियावन पाण्डेय निवासी हैदरगंज, थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या एनएल 0एसी 8306 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के बस को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 156/19 धारा 279, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

17.दिनांक 08.05.19 को वादी श्री राम मूरत कन्नौजिया पुत्र राम बरन निवासी बरौवा थाना कोरूदौली अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 02 अज्ञात चोरों द्वारा वादी के मोटर साइकिल की डिग्गी का लॉक तोड़कर 100000/रूपये चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना कोरूदौली में मु0अ0सं0 157/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।